

25.07.19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपरामाहर्ता, राजमहल
नामान्तरण अपील वाद सं०-01/2017-18
सुरोजीत साहा वगै०

वनाम
अंचल अधिकारी, उधवा वगै०
आदेश

यह नामान्तरण अपील वाद आवेदक सुरोजीत साहा पे०-मन्दु साहा, सा०-वेगमगंज, थाना-राधानगर, जिला-साहेवगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या 825/2016-17 में दिनांक 01.01.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। साथ ही धारा 05 के अन्तर्गत कालक्षन्ति आवेदन भी दाखिल की गई है। दाखिल आवेदन के अवलोकन एवं अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई दिनांक 20.04.2017 को प्रारंभ की गई।

इस नामान्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न है:-

मौजा	जमाबंदी न०	दाग न०	रकवा
वेगमगंज	60	859	00-03-00 धूर
		857/1764	00-10-06 धूर

आज अपीलार्थी के द्वारा वकालतन हाजरी दाखिल की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत जमीन मौजा वेगमगंज जमाबंदी न० 60 दाग न० 859 में रकवा 03 कट्टा तथा दाग न० 857 में रकवा 10 कट्टा 06 धूर कुल रकवा 13 कट्टा 06 धूर जमीन का जमाबंदी रैयत खुदीराम साहा थे। जमाबंदी रैयत खुदीराम साहा के मृत्यु के बाद अपने पीछे एक मात्र पुत्र अम्बिका प्रसाद साहा एवं दो पुत्री लोगिया साहून एवं सीता साहून को छोड़ गये। जमाबंदी रैयत की एक पुत्री लोगिया साहून के मृत्यु पश्चात राजकुमार साहा एवं दूसरी पुत्री सीता साहून की मृत्यु पश्चात तीन पुत्र यथा मनमोहन साह, अशोक कुमार साहा एवं बुद्धदेव प्रसाद साहा को छोड़ गयी। मनमोहन साहा एवं अशोक कुमार साहा दोनों के पिता स्व० जवाहरलाल साहा एवं प्रमोद प्रसाद गुप्ता पिता स्व० बुद्धदेव प्रसाद साहा के द्वारा एक निबंधित दान पत्र संख्या 388/दिनांक 18.10.2016 अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया। जिसके अन्तर्गत मौजा-वेगमगंज जमाबंदी न० 60 दाग न० 859 रकवा 03 कट्टा जमीन अन्तर्गत 01 कट्टा तथा दाग न० 857/1764 के कुल रकवा 10 कट्टा 06 धूर अन्तर्गत 01 कट्टा 08½ धूर कुल रकवा 02 कट्टा 08 ½ धूर जमीन अपीलार्थी को दानस्वरूप प्राप्त हुआ। एवं उक्त जमीन पर अपीलार्थी का मकान बना हुआ है।

उनका यह भी कहना है कि खतियानी रैयत खुदीराम साहा के मृत्युपरांत उनके हिस्से की जमीन एक मात्र पुत्र अम्बिका प्रसाद साहा एवं दो पुत्री लोगिया साहून तथा सीता साहून के बीच बराबर-बराबर हिस्से अर्थात् कुल रकवा 13 कट्टा 06 धूर जमीन का एक तिहाई अर्थात् 04 कट्टा 08½ धूर जमीन प्राप्त हुआ। परन्तु उनके द्वारा गलत तरीके से सभी कुल रकवा 13 कट्टा 06 धूर जमीन निबंधित केवाला संख्या 1175/2016 दिनांक 11.08.2016 के द्वारा आशा देवी पति सुरेश साहा, नबालिक सत्यम कुमार गुप्ता पिता शिवशंकर गुप्ता एवं नबालिक सोनु साहा पिता स्व० कन्हार्लाल साहा दोनों के अभिभावक के रूप में उनके बड़े पिता सुरेश साहा को विक्री किये।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरवादी के द्वारा फर्जी केवाला तैयार कर नामान्तरण संबंधी आवेदन दाखिल किया गया है। तथा उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि उक्त दाखिल नामान्तरण आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि उत्तरवादी के द्वारा नामान्तरण वाद

संख्या 825/2016-17 में दाग नम्बर गलत है। साथ ही उत्तरवादी का सम्पूर्ण रकवा 13 कट्टा 06 धूर रकवा में दखल कब्जा नहीं है। अपितु उक्त जमीन के आंशिक रकवा 02 कट्टा 08½ धूर जमीन पर अपीलार्थी का 40 वर्ष पूर्व से दखल कब्जा रहा है। इसके साथ ही उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरण को लेकर दिनांक 08.10.2016 को आपत्ति संबंधी आवेदन भी दाखिल किया गया है। इसके बावजूद भी अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा नामान्तरण वाद 825/2016-17 दिनांक 09.01.2017 को आदेश पारित करना विधि अन्तर्गत न्याय संगत नहीं है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 825/2016-17 में दिनांक 09.01.2017 में पारित आदेश को अपारत (Set-a-side) करने का अनुरोध किये है। उत्तरवादी आज अनुपस्थित। साथ उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनके समर्थन में किसी भी प्रकार का कागजात समर्पित नहीं किया गया।

अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। उक्त अभिलेख में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित जमीन आवेदकगण ने जमाबंदी रैयत के पुत्र से निबंधित केवाला संख्या 1175/दिनांक 11.06.2016 द्वारा क्रय किया है। क्रय की गई जमीन में विक्रेता का जमीन खेसरा संख्या 857 रकवा 10 कट्टा 06 धूर नहीं है एवं यह जमीन क्रंतागण के दखल कब्जे में भी नहीं है। विक्रेता के जमीन का खेसरा 857/1764 रकवा 10 कट्टा 06 धूर है एवं यही जमीन क्रंतागण के दखल कब्जे में है। जिस पर उनका आवासीय मकान एवं दूकान बना हुआ है।

साथ ही उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित जमीन भूहदबंदी से अप्रभावित तथा गैर मजरुआ, आमखास एवं वासगीत पर्चा वाली जमीन नहीं है। इस नामान्तरण वाद में आवेदिका के भगिना सुरोजीत साहा द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप हल्का कर्मचारी के द्वारा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई के पश्चात आदेश पारित का अनुशांसा किया गया है। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन को अंचल निरीक्षक द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित सत्यापित एवं अग्रसारित प्रतिवेदन के अवलोकन एवं स्थल निरीक्षण के फलस्वरूप अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि आवेदित जमीन पर आवेदकगण का आवासीय मकान, दूकान एवं बाड़ी है। विपक्षी का उक्त जमीन पर दखल कब्जा नहीं है। साथ ही उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण का केवाला संख्या 1175/दिनांक 11.08.2016 का है। जबकि द्वितीय पक्ष का केवाला संख्या 388/दिनांक 17.10.2016 का है। फलस्वरूप उनके द्वारा विपक्षी के आपत्ति आवेदन को अस्वीकृत करते हुए आवेदकगण के नाम से नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यकरूपेण विचारोपरां स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी एवं हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन में विरोधाभाष है। अंचल अधिकारी ही बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 के तहत Tenants Ledger को अद्यतन कर सकते हैं।

अतएव अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थल की पुनः जाँच करते हुए बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 के तहत Tenants Ledger में जरूरी संशोधित कर एक माह के अन्दर प्रतिवेदित करें। लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्ता,
राजमहल।

आपत्ति-03/
भू-धूर
16.01.2020